


५४
२०२२ पञ्जाबरी पेश हुई प्राणी व वहील
प्राणी अनुपासित । बार-बार अत्याज रितकी
जाने पर भी प्राणी वी डॉर से कोई
उपासित नही । अतः प्राणी का प्राण
अहम हाजरी अहम पैरवी में खारिज किया
जाता है । पञ्जाबरी देसल शुमार होइत
नम्बरां से वक्त होइत दफ्तर दाखिल हो ।


(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)